

भारत-इजरायल में विश्वास का अटूट रिश्ता

विदेश मंत्री जयशंकर और गिदोन सार की मुलाकात में रणनीतिक साझेदारी पर हुई गहन चर्चा

नई दिल्ली, 4 नवम्बर. विदेश मंत्री डा. एस जयशंकर ने इजरायल के साथ संबंधों को परस्पर विश्वास पर आधारित बताते हुए गाजा शांति योजना का समर्थन किया है।

उन्होंने कहा है कि आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहे दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बढ़ावा नहीं देने के वैश्विक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना चाहिए. डा. जयशंकर ने भारत की यात्रा पर आये इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार के साथ मंगलवार को यहां वार्ता से पहले अपने प्रारंभिक



वक्तव्य में यह बात कही. विदेश मंत्री ने बातचीत के बाद सार के साथ बैठक को सार्थक बताया है

विदेश मंत्री ने इजरायली नेता का उनकी पहली भारत यात्रा पर स्वागत करते हुए कहा कि भारत और इजरायल के बीच एक रणनीतिक साझेदारी है और दोनों कठिन समय में एक साथ खड़े रहे हैं. दोनों देशों ने परस्पर अटूट विश्वास के आधार पर एक रिश्ता बनाया है. डॉ. जयशंकर ने आतंकवाद को भारत और इजरायल के लिए साझा चुनौती बताया है और कहा कि हमें आतंकवाद को कतई बढ़ावा नहीं देने के वैश्विक दृष्टिकोण की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए. उन्होंने कहा, हमारे दोनों देश आतंकवाद की एक विशेष चुनौती का सामना कर रहे हैं. यह आवश्यक है कि हम आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के प्रति शून्य-सहिष्णुता के वैश्विक दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें. गाजा शांति योजना का समर्थन करते हुए विदेश मंत्री ने उम्मीद जतायी कि यह समस्या के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगी. उन्होंने कहा, हम स्वाभाविक रूप से आपके क्षेत्र में के घटनाक्रमों पर बहुत बारीकी से नजर रख रहे हैं. हम बंधकों और दुर्भाग्य से अपनी जान गंवाने वालों के अवशेषों की वापसी का स्वागत करते हैं. भारत गाजा शांति योजना का समर्थन करता है.

केजरीवाल ने विस अध्यक्ष नितिन के परिवार को दी संवेदनाएं

नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन के निधन से राजनीतिक और सामाजिक समुदाय में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके योगदान और समर्पण के कारण पार्टी के लिए अनाम स्थान हमेशा यादगार रहेगा. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर ट्वीट कर नितिन जी के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने कहा कि नितिन के निधन से पार्टी ने एक इमानदार और समर्पित साथी खो दिया है. इस दुःखद समय में आम आदमी पार्टी परिवार की ओर से नितिन को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की गई. केजरीवाल ने अपने ट्वीट में यह भी कहा कि इस कठिन घड़ी में पार्टी के सभी सदस्य और समर्थक उनके परिवार के साथ खड़े हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे परिवार को इस दुःख को सहने



की शक्ति प्रदान करें. उन्होंने पार्टी में अपनी इमानदारी, मेहनत और जनता के प्रति समर्पण के लिए एक मिसाल कायम की. उनके योगदान ने पार्टी को मजबूत किया और कई राजनीतिक उपलब्धियों में उनका अहम योगदान रहा.

निर्माण में देरी पर मुख्यमंत्री योगी ने लगाई फटकार

गोरखपुर, 4 नवंबर. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम टीपीनगर चौक से पैदलमार्ग मार्ग पर निर्माणधीन गोरखपुर के पहले सिक्सलेन प्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. प्लाईओवर के पिलर संख्या 62-63 और 18-19 के पास जाया लेने के दौरान उन्होंने निर्माण की प्रगति अपेक्षित न होने पर नाराजगी जताई. इसके लिए उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि मानसून थमने से लेकर

अबतक का समय काम में तेजी लाने के लिए बेहद अनुकूल था. उन्होंने सवाल किया कि आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया. अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं होने पर मुख्यमंत्री ने उदात्तवनी भरे लहजे में नसीहत दी कि सामान्य और टैकिंगल मैनिपॉवर तथा मशीन, उपकरण जैसे संसाधन बढ़ाकर काम को तय समय सीमा में तेजी से पूरा किया जाए।



HEMCHAND YADAV UNIVERSITY, DURG (C.G.)
 Email: registrar@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone & Fax: 0788-2359100

Adv. No. 05/Estt./HYU/2025 Durg, Date: 01/11/2025

//Invitation of Application for Professor of Practice//

Hemchand Yadav University, Durg invites applications from eminent and experienced experts from industry, research and academic institutions for the post of Professor of Practice in the areas of (i) Entrepreneurship / Incubation / Startup (ii) Product Design & Smart Manufacturing, (iii) Energy / Renewable Energy / Power Sector, (iv) Inclusive Education / Special Education (v) Artificial Intelligence (AI) / Machine Learning (ML) / Blockchain / Cyber Security / Data Science and (vi) Public Policy, Strategic Management, National Security and Leadership.

Tenure: Initial term is 01 year, extendable as per requirement up to a maximum of 03 years or till the age of 70 years. Eligible candidates may send their application and curriculum vitae to "The Registrar, Hemchand Yadav University, Raipur Naka, Durg-491001 (C.G.)" by speed/registered post by 05/12/2025 and send soft copy to email vc.durguniversity@gmail.com.

For detailed information, please visit the university website www.durguniversity.ac.in.

-Sd- Registrar
45784/4

नाम परिवर्तन सूचना
 मैं रिटायर्ड आर्मी नंबर 6481118-W के/क EX-NK (TC) PBC NO 24019850067 है जोनसिंह राजेश्वर पिता चन्नु सिंह निवासी फौजी निवासर, मिलकेश्वर कॉलोनी, वार्डनंबर 11 शुजावापुर जिला साजरापुर (म.प्र.) प्रेषित करता है कि मेरी पत्नी का नाम सर्विस रिकॉर्ड में अंग्रेजी में Prem Latha अकिंत है जबकी सही नाम प्रेमलाता Prem lata है। H अक्षर गलत लेख है एवं मेरी पत्नी का जन्मदिनांक 01/01/1970 लेख है, जो गलत है आधारकार्ड के मुताबिक जन्मतिथि 01/01/1967 है। मैं अपने सर्विस रिकॉर्ड में अपनी पत्नी का सही नाम प्रेमलाता (Prem lata) एवं सही जन्मतिथि 01/01/1967 करवाना चाहता हूँ।

राजनीति परिवारों की जायदाद नहीं: थरुर
 नई दिल्ली. वरिष्ठ सांसद शशि थरुर ने भारतीय राजनीति में वंशवाद को खारिज कर कारा प्रहार किया. एक अंतरराष्ट्रीय आलेख में थरुर ने साफ शब्दों में कहा है कि भारतीय राजनीति परिवारों की जायदाद नहीं है और वंशवादी राजनीति लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है. यह टिप्पणी इसलिए राजनीतिक गतिधाराओं में हलचल मचा रही है. क्योंकि यह आलोचना उस समय आई है, जब उनकी अपनी पार्टी का कांग्रेस से एक ही परिवार (बहेरू-गांधी परिवार) के नेतृत्व के इर्द-गिर्द केंद्रित है. शि थरुर ने अपने इस आलेख में कहा है कि अब समय यह आया है कि भारत वंशवाद को खारिज करने की स्वीकृति प्रदान करें. उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक सत्ता का निर्धारण योग्यता, प्रतिबद्धता या जनता की स्तरीय पर जुड़ने के बजाय वंशवाद से होता है, तो शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है. उनके इस लेख को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी मोर्चा पर निशाना साधा और कटाक्ष करते हुए कहा कि थरुर 'खतरों के खिलाड़ी बन गए हैं और अब तक पता नहीं उनका क्या अंजाम होगा क्योंकि 'प्रथम परिवार (गांधी-नेहरू परिवार) बहुत प्रसिद्धी है.

पार्टियों की मंशा पर सवाल-अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन 'प्रोटेक्टर्स सिंडिकेट' के लिए लिखे एक लेख में लिबरलनैचर के सांसद थरुर ने बताया कि नेहरू-गांधी परिवार कांग्रेस से जुड़े हैं. लेकिन राजनीतिक परिवर्तन में वंशवाद का बोलबाला है. थरुर का यह बयान भारत-पाकिस्तान संघर्ष और पहलवान के बाद राजनीतिक प्रयासों पर उनकी टिप्पणी को लेकर उडे विवाद के कुछ सप्ताह बाद आया है. उस समय उनकी टिप्पणी कांग्रेस के रख से अलग थीं और कई पार्टी नेताओं ने उनकी मंशा पर सवाल उठाते हुए उन पर निशाना साधा था.

वह विज्ञापन आरआरकेट वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है
<https://www.rcat.gov.in/hrd/Opening/Current%20Openings.html>
 CBC 48106/12/0002/2526

Change in Name
 I VIJAY KUMAR GUPTA Here by declare that I have change My name as VIJAY GUPTA so from now in future I will be known by my new name VIJAY GUPTA for all future purposes.
 Address-S/O RAMNARAYAN GUPTA 99 SHRADANAND MARG WARD NO 04 KUKSHI DISTT DHAR

जाहिर सूचना
 जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती सुरेशचंद्र पिता मोहनलाल बटवाल द्वारा ज्ञान क्र. 9. राजस्व विभाग पर आवेदन प्रस्तुत कर निगम रिकॉर्ड में दर्ज सम्पत्ति खता 1001027186 के सम्बन्ध में रजिस्ट्री/विक्रय पत्र पंजीकृत हक-त्याग, वसीयतनामा वारिस नाते, पंजीकृत दानपत्र संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर पता 74-डी एच. आय. बी. कॉलोनी, शांति कॉम्प्लेक्स इंदौर पर नामांतरण चाहा गया है। इस जाहिर सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में किसी भी टिप्पणी, बैक, संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति के नामांतरण पर आपत्ति हो तो ज्ञान क्र. 09 के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष मय दस्तावेज के अनामि आपत्ति शपथ पत्र सहित प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात व विना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
 सहायक राजस्व अधिकारी
 ज्ञान क्र. 09
 नगर पालिका निगम इंदौर

भारत सरकार परमाणु उर्जा विभाग राजा रमन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र
 डाकघर : केट इंदौर - 452013
 सं. 16/6/2025-भर्ती/
विषय: आरआरकेट चिकित्सा केंद्र, इंदौर के लिए लोकम आधार पर पुरुष नर्स की नियुक्ति के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू।
 आरआरकेट, इंदौर में लोकम आधार पर पुरुष नर्स की नियुक्ति के लिए दिनांक 11/11/2025 को वॉक-इन-इंटरव्यू आयोजित किया गया है। निम्नलिखित विवरण के अनुसार निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी पद के लिए पात्र हैं :-

| क्र.सं. | पद का नाम | पुरुष नर्स (लोकम आधार पर) |
|---------|---------------------|--|
| 1. | शैक्षणिक योग्यता | कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण तथा नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में 3 साल का डिप्लोमा + राय / राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल में 'ए' ग्रेड नर्स के रूप में पंजीकरण एवं किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव अथवा बीएससी (नर्सिंग) एवं राय / राष्ट्रीय नर्सिंग काउंसिल के साथ पंजीकरण तथा किसी मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष के अनुभव |
| 2. | अनुभव | नर्सिंग ग्रेड 'ए' प्रमाणपत्र के साथ किसी चिकित्सालय में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव या सहायक बलों में नर्सिंग सहायक श्रेणी कक्षाका उससे उच्च पद पर कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष के अनुभव |
| 3. | परिलब्धियां/वेतन | रु. 38,500.00 प्रति माह का समेकित वेतन। |
| 4. | नियुक्ति की अवधि | एक बार में 89 दिनों से अधिक नहीं |
| 5. | नियुक्ति की प्रकृति | लोकम आधार पर |
| 6. | आयु सीमा | 40 वर्ष से अधिक नहीं |

इच्छुक अभ्यर्थी, वाक-इन-इंटरव्यू के लिए दिनांक 11/11/2025 को सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे के मध्य छात्र सुविधा केंद्र, आरआरकेट, राजेंद्र नगर, इंदौर (0731-2488812) में सहायक कार्मिक अधिकारी (भर्ती) को रिपोर्ट करें। अभ्यर्थी अपनी जन्म तिथि, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) आदि के संबंध में स्व-सत्यापित प्रतियों सहित मूल अंक तालिका / प्रमाण पत्र, अपना फोटोडाटा तथा दो नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार के फोटोआटा लाएं।

Change in Name
 I VIJAY KUMAR GUPTA Here by declare that I have change My name as VIJAY GUPTA so from now in future I will be known by my new name VIJAY GUPTA for all future purposes.
 Address-S/O RAMNARAYAN GUPTA 99 SHRADANAND MARG WARD NO 04 KUKSHI DISTT DHAR

जाहिर सूचना
 जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती सुरेशचंद्र पिता मोहनलाल बटवाल द्वारा ज्ञान क्र. 9. राजस्व विभाग पर आवेदन प्रस्तुत कर निगम रिकॉर्ड में दर्ज सम्पत्ति खता 1001027186 के सम्बन्ध में रजिस्ट्री/विक्रय पत्र पंजीकृत हक-त्याग, वसीयतनामा वारिस नाते, पंजीकृत दानपत्र संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर पता 74-डी एच. आय. बी. कॉलोनी, शांति कॉम्प्लेक्स इंदौर पर नामांतरण चाहा गया है। इस जाहिर सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस की अवधि में किसी भी टिप्पणी, बैक, संस्था व अन्य को उक्त सम्पत्ति के नामांतरण पर आपत्ति हो तो ज्ञान क्र. 09 के राजस्व विभाग में सहायक राजस्व अधिकारी के समक्ष मय दस्तावेज के अनामि आपत्ति शपथ पत्र सहित प्रस्तुत करें। अवधि पश्चात व विना लेखी प्रमाण प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
 सहायक राजस्व अधिकारी
 ज्ञान क्र. 09
 नगर पालिका निगम इंदौर

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना
 निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संघिनियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार पनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर अपना ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

| स.क्र. | ऋण खता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
|--|---------------|--------------------|------------------------|--|
| 1 | 84827661. | संपत्ति के बदले ऋण | 18.10.2025 | 4,42,341.69/- |
| उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. लाल सिंह 2. कृष्णा कुंवर | | | | |
| संपत्ति का पता: मकान संख्या 42 का वह पुरा टुकड़ा और पार्सल, कुल क्षेत्रफल: 60x20 = 1200 वर्ग फीट, वार्ड क्रमांक 2, पीएच क्रमांक 6, सर्वे क्रमांक 103, ग्राम कालसी, तहसील नागाव, उज्जैन, मध्य प्रदेश, और उक्त संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई है: उत्तर: प्रहलाद सिंह हाउस, दक्षिण: दातार सिंह हाउस, पूर्व: धर्मशाला, पश्चिम: रोड | | | | |
| स.क्र. | ऋण खता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
| 2 | 41662801 | होम लोन | 18.10.2025 | 2,05,907.76/- |
| उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. पर्वत सिंह राठौड़ 2. मोहिनी बाई राठौड़ | | | | |
| संपत्ति का पता: मकान संख्या 16 का पुरा टुकड़ा, क्षेत्रफल 30x25 = 750 वर्ग फुट, आबादी सर्वे संख्या 47, ग्राम: गणयाबाव, ग्राम पंचायत: बड़घड़म, तहसील और जिला: धार, मध्य प्रदेश -454773, पूर्व: पर्वत सिंह की कृषि भूमि, पश्चिम: सी.सी. रोड, उत्तर: साजन सिंह का रास्ता और कृषि भूमि दक्षिण: दिनेश सिंह की कृषि भूमि | | | | |
| स.क्र. | ऋण खता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
| 3 | 134052462. | होम लोन | 11.10.2025 | 6,34,568.73/- |
| उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. जेए सिंह डोडिया 2. सीमा कुंवर | | | | |
| संपत्ति का पता: संपत्ति का वह पुरा टुकड़ा और पार्सल ग्राम एवं ग्राम पंचायत संरंला, पीएच संख्या 64, भूमि सर्वेक्षण संख्या 970, मकान संख्या 326, क्षेत्रफल 273 वर्ग मीटर, तहसील खापरगेड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है और उक्त संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई है: उत्तर: स्वयं की भूमि, दक्षिण: पूर्व: केसर सिंह पुत्र पुनम सिंह की भूमि, पश्चिम: श्री शेर सिंह और चंद्रमान पुत्र केसर सिंह की भूमि | | | | |
| स.क्र. | ऋण खता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
| 4 | 63408664 | संपत्ति के बदले ऋण | 18.10.2025 | 1,74,965.19/- |
| ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नाम: 1. तेजु बाई 2. जगदीश राम जो | | | | |
| संपत्ति का पता: संपत्ति का वह पुरा टुकड़ा और पार्सल 620 वर्ग फीट, सर्वे क्रमांक 123, गांव अहिरखेड़ी, फोन नंबर 98, ग्राम पंचायत: नेकापुर, तहसील और जिला: धार, मध्य प्रदेश-454773 पर स्थित है। पूर्व: सड़क, पश्चिम: सड़क उत्तर: स्वयं की भूमि, दक्षिण: सड़क | | | | |
| स.क्र. | ऋण खता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
| 5 | 49101860 | संपत्ति के बदले ऋण | 18.10.2025 | 4,30,578.90/- |
| ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नाम: 1. वीरेंद्र सिंह 2. जसपू कुंवर | | | | |
| संपत्ति का पता: मकान संख्या 1226, 1200 वर्ग फीट (111.52 वर्ग मीटर) का पुरा टुकड़ा और पार्सल, सर्वे संख्या 336, पी.एच. संख्या 7, ग्राम निम्नोदिया कला, नागदा, उज्जैन, मध्य प्रदेश, और उक्त संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई है: उत्तर: रोड, दक्षिण: रोड, पूर्व: जितेंद्र सिंह हाउस, पश्चिम: श्यामलाल हाउस | | | | |

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है. अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसाएआरएफएफआईआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) : इसके अलावा, अपकी उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत विचार / पुष्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

Change in Name
 I VIJAY KUMAR GUPTA Here by declare that I have change My name as VIJAY GUPTA so from now in future I will be known by my new name VIJAY GUPTA for all future purposes.
 Address-S/O VIJAY GUPTA 02 SHRADANAND MARG WARD NO 04 KUKSHI DISTT DHAR

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
 (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
 (CIN:L65110TN2014PLC097792)
 रजिस्टर्ड ऑफिस: के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
 फोन: +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना
 निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संघिनियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार पनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर अपना ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

| स.क्र. | ऋण खता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
|--|---|--------------------|------------------------|--|
| 1 | 84827661. | संपत्ति के बदले ऋण | 18.10.2025 | 4,42,341.69/- |
| उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. लाल सिंह 2. कृष्णा कुंवर | | | | |
| संपत्ति का पता: मकान संख्या 42 का वह पुरा टुकड़ा और पार्सल, कुल क्षेत्रफल: 60x20 = 1200 वर्ग फीट, वार्ड क्रमांक 2, पीएच क्रमांक 6, सर्वे क्रमांक 103, ग्राम कालसी, तहसील नागाव, उज्जैन, मध्य प्रदेश, और उक्त संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई है: उत्तर: प्रहलाद सिंह हाउस, दक्षिण: दातार सिंह हाउस, पूर्व: धर्मशाला, पश्चिम: रोड | | | | |
| स.क्र. | ऋण खता संख्या <td>ऋण का प्रकार</td> <td>धारा 13 (2) नोटिस तिथि</td> <td>धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि</td> | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
| 2 | 41662801 | होम लोन | 18.10.2025 | 2,05,907.76/- |
| उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. पर्वत सिंह राठौड़ 2. मोहिनी बाई राठौड़ | | | | |
| संपत्ति का पता: मकान संख्या 16 का पुरा टुकड़ा, क्षेत्रफल 30x25 = 750 वर्ग फुट, आबादी सर्वे संख्या 47, ग्राम: गणयाबाव, ग्राम पंचायत: बड़घड़म, तहसील और जिला: धार, मध्य प्रदेश -454773, पूर्व: पर्वत सिंह की कृषि भूमि, पश्चिम: सी.सी. रोड, उत्तर: साजन सिंह का रास्ता और कृषि भूमि दक्षिण: दिनेश सिंह की कृषि भूमि | | | | |
| स.क्र. | ऋण खता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
| 3 | 134052462. | होम लोन | 11.10.2025 | 6,34,568.73/- |
| उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं का नाम: 1. जेए सिंह डोडिया 2. सीमा कुंवर | | | | |
| संपत्ति का पता: संपत्ति का वह पुरा टुकड़ा और पार्सल ग्राम एवं ग्राम पंचायत संरंला, पीएच संख्या 64, भूमि सर्वेक्षण संख्या 970, मकान संख्या 326, क्षेत्रफल 273 वर्ग मीटर, तहसील खापरगेड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में स्थित है और उक्त संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई है: उत्तर: स्वयं की भूमि, दक्षिण: पूर्व: केसर सिंह पुत्र पुनम सिंह की भूमि, पश्चिम: श्री शेर सिंह और चंद्रमान पुत्र केसर सिंह की भूमि | | | | |
| स.क्र. | ऋण खता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
| 4 | 63408664 | संपत्ति के बदले ऋण | 18.10.2025 | 1,74,965.19/- |
| ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नाम: 1. तेजु बाई 2. जगदीश राम जो | | | | |
| संपत्ति का पता: संपत्ति का वह पुरा टुकड़ा और पार्सल 620 वर्ग फीट, सर्वे क्रमांक 123, गांव अहिरखेड़ी, फोन नंबर 98, ग्राम पंचायत: नेकापुर, तहसील और जिला: धार, मध्य प्रदेश-454773 पर स्थित है। पूर्व: सड़क, पश्चिम: सड़क उत्तर: स्वयं की भूमि, दक्षिण: सड़क | | | | |
| स.क्र. | ऋण खता संख्या | ऋण का प्रकार | धारा 13 (2) नोटिस तिथि | धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि |
| 5 | 49101860 | संपत्ति के बदले ऋण | 18.10.2025 | 4,30,578.90/- |
| ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के नाम: 1. वीरेंद्र सिंह 2. जसपू कुंवर | | | | |
| संपत्ति का पता: मकान संख्या 1226, 1200 वर्ग फीट (111.52 वर्ग मीटर) का पुरा टुकड़ा और पार्सल, सर्वे संख्या 336, पी.एच. संख्या 7, ग्राम निम्नोदिया कला, नागदा, उज्जैन, मध्य प्रदेश, और उक्त संपत्ति निम्नलिखित से घिरी हुई है: उत्तर: रोड, दक्षिण: रोड, पूर्व: जितेंद्र सिंह हाउस, पश्चिम: श्यामलाल हाउस | | | | |

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है. अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसाएआरएफएफआईआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) : इसके अलावा, अपकी उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत विचार / पुष्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

Change in Name
 I VIJAY KUMAR GUPTA Here by declare that I have change My name as VIJAY GUPTA so from now in future I will be known by my new name VIJAY GUPTA for all future purposes.
 Address-S/O VIJAY GUPTA 02 SHRADANAND MARG WARD NO 04 KUKSHI DISTT DHAR

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
 (पूर्वव